

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 408/2025

रंजना शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. सहायक कृषि विस्तार, झोटावाड़ा, जिला जयपुर।
4. कमलेश यादव, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय पलखडी, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, राजगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025

आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय, चौप सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटावाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान मुख्यालय, पलखडी सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, राजगढ़ में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एवं बिना जिला दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। माननीय

उच्च न्यायालय में दायर डॉ अजय कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के विरुद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी को मुख्यालय खटोडा सहायक निदेशक कृषि विस्तार मेड़तासिटी से वर्तमान पदस्थापन स्थान मुख्यालय चौप में स्थानान्तरण किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 14.03.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का केवल 10 माह के अल्प समयावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक-4) के विरुद्ध आदेश जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय, चौप सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय, चौप सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान मुख्यालय, पलखडी सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, राजगढ़ में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उद्धृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना

किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ० अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसवड़ा)
सदस्य